न्यायालय उपजिलाधिकारी कलेक्टरगंज बाराबंकी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्र०सं० 46/2019 महावीर मौर्य v/s राज्य सरकार अन्य तहसीलदार	
17-12-2019 पुनावली पत्र सं० 1 प्रार्थी / प्रार्थिनी वकील प्रार्थीगण तथा प्रस्तुत प्रा०पत्र के अनुसार ग्राम-रघुलाबाद कला तहसील व जिला बाराबंकी स्थित कथित भूमि खाता नं० 151 गाटा 142 के सं० नं० 21, 24, 25, 26 किता 4 रकबा 3-04 है० प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि है जिसमें ग्राम समाज बुजुर्गान के पत्थरगाड़ी है भूमि का कोई डिमार्केशन नहीं था इस कारण प्रार्थीगण के प्रा०पत्र पर सीमाबन्दी करने हेतु तहसीलदार महोदय ने राजस्व टीम गिरदावर पटवारी ह० रघुलाबाद कला को नियुक्त कर दिनांक 28.4.16 को मौका पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति भूमि में सीमाबन्दी कर निशानात लगाये लेकिन पड़ोसी लोग सीमाबन्दी निशानात को नहीं मानते इसलिये प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगाड़ी करने के आदेश दिये जाकर एमिनेंट फकीर की सुरक्षा हेतु मेड़बन्दी की जायें प्रार्थीगण प्रा०पत्र दर्ज रजिस्टर वसूली नियमों हेतु अग्रवाही तहसीलदार महोदय की गई। तहसीलदार महोदय द्वारा जवाब रिपोर्ट पत्रांक 3773 दिनांक 18.9.19 प्राप्त की गई जो शामिल पत्रावली की गई। आख्या रिपोर्ट के ग्राम रघुलाबाद कला तह० व जिला बाराबंकी स्थित कथित भूमि सं० नं० 21, 24, 25, 26 किता 4 रकबा 3-04 है० प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण की सहमति से दिनांक 28.4.16 को प्रार्थीगण एवं अमरेन्द्र सोलंकियान की मौजूदगी में सीमाबन्दी कर दिया गया लेकिन ग्राम रघुलाबाद कला की भूमि नगर पालिका बाराबंकी घेरा घेरी क्षेत्र में होने से पत्थरगाड़ी के दौरान पड़ोसी काश्तकारों से तनाव उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है इसलिये पत्थरगाड़ी के दौरान उत्पन्न विवाद के आदेश चाहे। हमने प्रार्थीगण वकील की बहस सुन कर मनन किया, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र में वर्णित तथ्य, सकल जमाबन्दी एवं	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न अ भ

2015-16 ग्राम श्यालावाड़ कला तह० बनेड़ा, श्रमिक
ए0 151, आदि पर्या सीमाकन दिनांक 28.4.16 एवं
तहसीलदार बनेड़ा रिपोर्ट का अवलोकन किया।
प्रस्तुत दस्तावेजात के उपरान्त वर्णित भूमि
अन्तर्गत धारा 88 राजस्व रिकार्ड राजस्थान भूमि एवं राजस्व
सीमाकन अधिनियम 2015 दिनांक 28.4.16 को
किया जाना है, भूमि उपरान्त नहर चालिया
सीमा पेरापेट से स्थित है जिसकी पत्रावली
के संशोधन अधिकारी कार्यालय के तत्समय पेश होने
की तथ्यता के मद्देनजर प्रतिलिपि दस्तावेज की
तहसीलदार बनेड़ा द्वारा मांग भी गई, साथ ही आवेदक
ने भूमि सुरक्षा हेतु मजबूती करने के लिये पत्रावली
करने का निवेदन किया है उपरान्त विवेचना से आवेदन धारा
धारा 128 RLRAct स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है
अतः आदेश है कि आवेदित प्रा० पत्र
धारा 128 RLRAct स्वीकार किया जाता है तहसीलदार
बनेड़ा वर्णित भूमि ख.नं० 21, 24, 25, 26 सिवा परकोला
2.04 है० ग्राम श्यालावाड़ कला तहसील बनेड़ा की
पत्रावली विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कराकर, मौके
पर तथ्यता होने के मद्देनजर पत्रावली के दायरा
वर्णित प्रतिलिपि दस्तावेज प्राप्त करे व मौके पर
शान्ति व्यवस्था कायम रखे। भारतीय अधिकारी मसीदा
तहसीलदार बनेड़ा को पर्याप्त प्रतिलिपि दस्तावेज
उपलब्ध करावे तथा मौके पर कानून व्यवस्था
बनाये रखना सुनिश्चित करे उपरोक्तानुसार
तहसीलदार आदि हो। पत्रावली कोर्टफीस शुद्ध होकर
बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(पिंकी मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकिराड़, जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
कोटकिराड़ (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2020.01.13 15:05:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: